उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 06/2013–14

विशेश्वर महतो ..... आवेदक

बनाम

किशन महतो एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

06/05/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 06/2013–14 विशेश्वर महतो बनाम् किशन महतो एवं अन्य, मौजा महारो, अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के आर0ई0 वाद सं0 24/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी की ओर से दिनांक 06.05.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा महारो के जमाबन्दी नं0 62 दाग सं0 347 गत सर्वे सेटेलमेंट में खेलु महतो, दालु महतो एवं मुकु महतो के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। विपक्षीगण जमाबन्दी रैयत के वंशज है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में विपक्षी को मौजा महारो के दाग सं0 347 के अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इसपर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई। किन्तु उनके ओर से कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।

निम्न न्यायालय में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रवितेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत दाग के मकान में निवास करते है। मकान करीब तीस वर्षो से अधिक का है। आवेदक को प्रश्नगत जमींन किस प्रकार प्राप्त हुआ है, कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखलाया गया है किन्तु उन्हें महारो के प्रधान द्वारा मार्फती लगान रसीद कुछ वर्षो का निर्गत है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमींन पर आवेदक का अवैध दखल मानते हुए उन्हें उक्त जमींन से उच्छेदित किया गया है।

इस पर आवेदक का कहना है कि उनका दखल प्रश्नगत जमींन पर तीस वर्षो से है एवं मकान बनाकर निवास कर रहें है। उन्हें मकान से उच्छेदित नहीं किया जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश गलत है।

विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि आवेदक उक्त जमीन से कोई संबंध नहीं रखता है तथा इस पर उनका कोई दावा नहीं बनता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन विपक्षियों का जमाबन्दी जमींन है एवं सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अहस्तान्तरणीय है। आवेदक किस आधार पर प्राप्त किया है, प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही मौजा के प्रधान द्वारा भी मार्फती लगान रसीद निर्गत किया गया है, का भी कोई स्पष्ट आधार का उल्लेख नहीं है। आवेदक द्वारा भी कोई कागजात अपने दावों के समर्थन में दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का प्रश्नगत जमींन में अवैध दखल है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

251 Disd/- 25/6/16.

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

N/o to